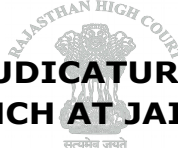




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



(1) S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 943/2024

1. Ramgopal Banjara S/o Shri Rajuram Banjara, Aged About 56 Years,
2. Sangeeta Devi W/o Shri Ramgopal Banjara, Aged About 55 Years,
Both R/o Railway Station Road, Gattani House,
Deedwana, District Nagaur (Rajasthan).

----Appellants/Claimants

Versus

1. Madhav Sharma S/o Shri Naval Kishor Sharma, R/o Village Lalaur, Tehsil And District Muraina (Muraina).
(Driver Of Vehicle No. RJ-14-TB-8687)
2. Jaishiv Sharma S/o Shri Mohan Lal Sharma, R/o 114/107, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur (Owner Of Vehicle No. RJ-14-TB-8687)
3. HDFC Argo General Insurance Company Ltd., Through Regional Manager, Regional Office Third Floor, C-98, Singhavi Upasana Tower, Subhash Marg, C-Scheme, Jaipur (Policy No. 23132201192120800000, Effective From 01.10.2015 To 30.09.2016) (Insurance Company Of Vehicle No. RJ-14-TB-8687)

----Non-Claimant/Respondent

Connected With

(2) S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 2533/2023

1. Jagdish Prasad S/o Shri Lalluram Chhipi, Aged 62 Years,
2. Smt. Daya Devi W/o Shri Jagdish Prasad, Aged 66 Years,
Both Residents Of Old Bus Stand, Surya Nagar Colony,
Mandawar, District Dausa

----Claimants Appellants

Versus

1. Madhav Sharma Son Of Shri Naval Kishore Sharma, Resident Of Village Lalour, Tehsil & District Muraina
(Driver Vehicle No. RJ14-TB-8687)
2. Jaishiv Sharma Son Of Shri Mohan Lal Sharma, Resident Of 114/107, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur (Owner Vehicle No. RJ-14-TB-8687)



3. HDFC Ergo General Insurance Company Limited, Regional Office Third Floor, C-98, Singhvi Upasana Tower, Subash Marg, C-Scheme, Jaipur Through Regional Manager Policy No. 23132201192120800000 Valid From 1.10.2015 To 30.09.2016 (Insurance Company Vehicle No. RJ-14-TB-8687)

----Non-Claimants-Respondents

4. Subhash Son Of Shri Jagdish Prasad, Aged 35 Years, Resident Of Old Bus Stand, Surya Nagar Colony, Mandawar, District Dausa

-----Performa Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Arjun Sharma, Adv. Mr. Sandeep Mathur, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Virendra Agrawal, Adv. with Ms. Anjali Assat, Adv. (for Insurance Company)

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

06/05/2026

1. अपीलार्थीगण रामगोपाल बंजारा व अन्य की ओर से प्रस्तुत दीवानी विविध अपील संख्या-943/2024 एवं अपीलार्थीगण जगदीश प्रसाद व अन्य की ओर से प्रस्तुत दीवानी विविध अपील संख्या-2533/2023, दोनों दीवानी विविध अपीलें धारा-173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, संख्या-02, जयपुर महानगर प्रथम (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या-446/2016, रामगोपाल बंजारा व अन्य बनाम माधव शर्मा व अन्य तथा क्लेम याचिका संख्या-177/2016, जगदीश प्रसाद व अन्य बनाम माधव शर्मा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 07.06.2023 (जिसे आगे 'आलोच्य निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। जिनका निस्तारण सुविधा की दृष्टि से इस एक निर्णय के द्वारा किया जा रहा है।



2. अपीलार्थीगण **रामगोपाल बंजारा व अन्य** की ओर से मोटर वाहन दुर्घटना में **पीयूष** की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप **कुल 1,02,50,000/- रुपये** तथा अपीलार्थीगण **जगदीश प्रसाद व अन्य** की ओर से मोटर वाहन दुर्घटना में **देवेन्द्र** की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप **कुल 65,40,000/- रुपये** क्लेम प्राप्त करने हेतु पृथक-पृथक क्लेम याचिकाएं विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिकाओं का निस्तारण करते हुए अपीलार्थीगण **रामगोपाल बंजारा व अन्य** को **कुल 15,49,000/- रुपये** क्षतिपूर्ति राशि तथा अपीलार्थीगण **जगदीश प्रसाद व अन्य** को **कुल 16,33,000/- रुपये** की क्षतिपूर्ति राशि **मय ब्याज 06 प्रतिशत** सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आलोच्य निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण **रामगोपाल बंजारा व अन्य** की ओर से **दीवानी विविध अपील संख्या-943/2024** एवं अपीलार्थीगण **जगदीश प्रसाद व अन्य** की ओर से प्रस्तुत **दीवानी विविध अपील संख्या-2533/2023**, विद्वान अधिकरण द्वारा पारित क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी हैं।

3. **दीवानी विविध अपील संख्या-943/2024** के संबंध में दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण श्री अर्जुन शर्मा का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक पीयूष की आय 10,000/- रुपये मासिक निर्धारित कर त्रुटि कारित की गयी है, जबकि वक्त घटना मृतक टेलीपर्फोमेंस कम्पनी में "टेक्निकल सपोर्ट एक्जिक्यूटिव" के पद पर कार्यरत होकर प्रतिमाह 20,000/- रुपये आय अर्जित करता था। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा है कि वक्त घटना मृतक की आयु 26 वर्ष से कम थी, किन्तु विद्वान अधिकरण द्वारा आश्रित आय की गणना हेतु 18 के गुणक के स्थान पर 17 का प्रयोग किया जाकर त्रुटि कारित की गयी है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में तथा अन्य मदों में भी अत्यंत कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।



अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय का ध्यान निम्न न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित किया गया :-

● **Kandasami & Ors. Vs. Lindabriyal & Anr.** reported in **2024 (1) R.A.R. 16 (SC).**

4. दीवानी विविध अपील संख्या-2533/2023 के संबंध में दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण श्री संदीप माथुर का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक देवेन्द्र की आय 10,000/- रुपये मासिक निर्धारित कर त्रुटि कारित की गयी है, जबकि वक्त घटना मृतक बी.टेक डिग्रीधारी था तथा ट्यूशन पढ़ाकर 15,000/- रुपये मासिक आय अर्जित करता था। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में तथा अन्य मदों में भी अत्यंत कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।
5. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से अपीलार्थीगण के उपरोक्त तर्कों का विरोध किया गया तथा तर्क दिया गया कि मृतकगण की आय के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की गयी है, ऐसी स्थिति में मृतकगण की आय न्यूनतम मजदूरी के आधार पर निर्धारित की जाकर क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया जावे। अतः विद्वान अधिकरण द्वारा पारित किये गये आलोच्य निर्णय को संशोधित किया जावे व अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपीलें निरस्त की जावे।
6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावलियों व विद्वान अधिकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।
7. हस्तगत अपीलों का निस्तारण निम्नानुसार किया जा रहा है।

दीवानी विविध अपील संख्या-943/2024 :-

8. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 28.01.2016 की बताई गयी है तथा वक्त घटना मृतक पीयूष को 25 वर्ष आयु का बी-टेक डिग्रीधारी छात्र होना बताते हुए टेलीफॉर्मैस कम्पनी में



“टेक्निकल सपोर्ट एक्जिक्यूटिव” के पद पर कार्यरत होकर प्रतिमाह 20,000/- रुपये आय अर्जित करना बताया गया है। किन्तु मृतक की आय के संबंध में अपीलार्थीगण की ओर से कोई ठोस प्रमाण विद्वान अधिकरण के समक्ष पेश नहीं किया गया है, किन्तु मृतक की प्रौद्योगिकी-स्नातक (संगणक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी) की अंकतालिकाएं प्रदर्श-45 लगायत प्रदर्श-49 पत्रावली पर पेश की गयी है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की काल्पनिक आय 10,000/- रुपये मासिक निर्धारित की गयी है।

9. इस संबंध में हमारा मानना यह है कि वक्त घटना मृतक पीयूष बी.टेक. डिग्रीधारी छात्र था। जिसके संबंध में मृतक की महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर (राजस्थान) द्वारा जारी प्रौद्योगिकी-स्नातक (संगणक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी) प्रमाण पत्र प्रदर्श-23 तथा मृतक की प्रौद्योगिकी-स्नातक (संगणक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी) की अंकतालिकाएं प्रदर्श-45 लगायत प्रदर्श-49 पत्रावली पर पेश की गयी है। पत्रावली पर यह तथ्य भी आया है कि मृतक बी.ई. (Bachelor of Engineering) कर चुका था। इस संबंध में माननीय उच्चतम द्वारा न्यायिक दृष्टांत **Kandasami (supra)** के मामले में निम्नलिखित मत व्यक्त किया है कि :-

"5. Be that as it may, even in that circumstance, when it is established that the deceased was an engineering graduate and the employment opportunities during the year 2008 is kept in view, even on a conservative estimate the sum of Rs.25,000/- to be reckoned would be justified. In that view, in the instant case we would reckon income of the deceased at Rs.25,000/- per month. Towards the same, 40% is to be awarded as 'future prospects' which would be in a sum of Rs.10,000/-. Hence, the total income would be Rs.35,000/- per month of which 50% is to be deducted, as the deceased was Bachelor. The amount of Rs.17,500/- if taken on the annual basis and the appropriate multiplier of '17' is applied, the amount would be in a sum of



Rs.35,70,000/- . The sum of Rs.70,000/- is added towards 'conventional heads'. Hence, the total compensation would work out Rs.36,40,000/-. The High Court has awarded a sum of Rs.10,97,000/-. The appellants would therefore be entitled to the enhanced compensation of Rs. 25,43,000/-with interest at 7.5% per annum from the date of the petition before the MACT till the date of payment."

10. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **Kandasami (supra)** के मामले में मृतक जो कि बी.टेक. अभियन्ता स्नातक का विद्यार्थी था कि आय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 25,000/- रुपये प्रतिमाह निर्धारित की जाकर क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया गया है।

11. अन्य न्यायिक दृष्टांत **S. Mohammed Hakkim Vs. National Insurance Co. Ltd. & Ors.** reported in **(2025) 10 SCC 263** के मामले में भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित मत व्यक्त किया है कि :-

"**11.** In the above case, this Court was dealing with a case of an accident that occurred in the year 2013. Although considering the facts of that case, this Court had taken the income of the claimant therein as Rs 10,000 per month, it was noted that students, like the appellant in the present case, would be at least earning the minimum of Rs 20,000 per month. Thus, in our opinion, it would be in the interest of justice if the notional income of the appellant were taken as Rs 20,000."

12. अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **S. Mohammed Hakkim (supra)** के मामले में क्लेमेंट द्वारा स्वयं की आय 10,000/- रुपये बताई गयी थी, किन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि मामले का विद्यार्थी कम से कम 20,000/- रुपये प्रतिमाह की आय अर्जित करता होगा। इन परिस्थितियों में माननीय उच्चतम



न्यायालय द्वारा वक्त घटना क्लेमेट/अपीलार्थी की आय 20,000/— रुपये प्रतिमाह निर्धारित की है।

13. अन्य न्यायिक दृष्टांत **Nagappa Vs. Gurudayal Singh & Ors.** reported in **2003 (2) SCC 274** के मामले में यह भी मत व्यक्त किया गया है कि :—

"7. Firstly, under the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988, (hereinafter referred to as "the MV Act") there is no restriction that compensation could be awarded only up to the amount claimed by the claimant. In an appropriate case, where from the evidence brought on record if the Tribunal/court considers that the claimant is entitled to get more compensation than claimed, the Tribunal may pass such award. The only embargo is — it should be "just" compensation, that is to say, it should be neither arbitrary, fanciful nor unjustifiable from the evidence.

10. Thereafter, Section 168 empowers the Claims Tribunal to "make an award determining the amount of compensation which appears to it to be just". Therefore, the only requirement for determining the compensation is that it must be "just". There is no other limitation or restriction on its power for awarding just compensation."

14. अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **Nagappa (supra)** के मामले में यह माना कि यदि किसी मामले में क्लेमेट द्वारा कम मुआवजा मांगा गया हो तो भी विद्वान अधिकरण द्वारा अधिक मुआवजा दिलवाया जा सकता है, शर्त यह है कि मुआवजा उचित एवं न्यायपूर्ण (fair & just) होना चाहिए। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मृतक पीयूष बंजारा बी-टेक डिग्रीधारी छात्र था तथा मृतक बी.ई. (Bachelor of Engineering) भी कर चुका था, जिसकी पुष्टि पत्रावली पर संलग्न अंकतालिका प्रदर्श-30 से होती है, इससे प्रकट होता है कि मृतक मेधावी छात्र था। अतः उपरोक्त



परिस्थितियों में हम, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **Kandasami (supra), S. Mohammed Hakkim (supra)** तथा **Nagappa (supra)** के मामले में पारित मत से सहमत होते हुए वक्त घटना मृतक पीयूष की मासिक आय 15,000/— रुपये निर्धारित किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

15. क्लेम याचिका में वक्त घटना मृतक को 21 वर्ष आयु का होना बताया गया है तथा विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की 10वीं कक्षा की अंकतालिका में अंकित जन्मतिथि 27.07.1990 के अनुसार वक्त घटना मृतक की आयु 25 वर्ष 6 माह होने के आधार पर मृतक की आयु 25 से 30 वर्ष के मध्य निर्धारित की गयी है। चूंकि वक्त घटना मृतक 25 वर्ष 06 माह आयु का स्वनियोजित व्यवसायी था। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य रिपोर्टेड इन (2017) 16 एस.सी.सी. 680** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए मृतक की निर्धारित मासिक आय 15,000/— रुपये पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में 40 प्रतिशत अर्थात् 6,000/— रुपये की बढ़ोतरी करते हुए मृतक की कुल मासिक आय 21,000/— रुपये निर्धारित की जाती है, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

16. वक्त घटना मृतक अविवाहित था। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/2 भाग की कटौती की गयी है जो सही है। तदनुसार 21,000/— रुपये का 1/2 भाग 10,500/— रुपये होता है, जिसे निर्धारित मासिक आय में से घटाने के उपरांत आश्रित आय की शेष राशि 10,500/— रुपये होती है। मृतक की 10वीं कक्षा की अंकतालिका में अंकित जन्मतिथि 27.07.1990 के अनुसार वक्त घटना मृतक की आयु 25 वर्ष 6 माह थी। इस संबंध में हमारा मानना यह है कि वक्त घटना मृतक की आयु 25 वर्ष से तो अधिक थी, किन्तु मृतक पूर्ण रूप से 26 वर्ष आयु का नहीं हुआ था। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **M.H. Uma Maheshwari & Ors. Vs. United India**

**Insurance Co. Ltd. & Anr. reported in 2020 (2) R.A.R. 185**

(SC) के मामले में यह मत व्यक्त किया है कि :—

"9. The Tribunal, by recording a finding that the deceased was in the age group of 40 to 50 years, applied the multiplier of 13 while calculating the compensation. The High Court, curiously while maintaining the multiplier of 13 as per the judgment of this Court in compensation only on the ground that the deceased was aged 50 years 3 months on the date of the accident, as such the compensation is to be calculated on account of loss of dependency by granting future prospects at 15% but not 30%. So far as the application of multiplier of 13 by the Tribunal is concerned, the High Court has not interfered with the same. When the age of the deceased was considered in the group of 40 to 50 years, we are of the view that the High Court has committed error in granting only 15% towards future prospects instead of 30%. As per the judgments of this Court, primarily the age group is to be considered. Considering the age group as 40 to 50 years, when the multiplier of 13 is maintained by the High Court, there is no reason or justification for reducing the compensation by granting 15% towards future prospects. Though the learned counsel appearing for Respondent 1 Insurance Company has submitted that the compensation towards future prospects was awarded as per the Constitution Bench judgment of this Court in National Insurance Co. Ltd. v. Pranay Sethi³ but at the same time it is to be noticed that in the very same judgment in para 59.3, while considering the grant of future prospects, this Court has specifically said that the addition should be 30% if the age of the deceased was in the age group of 40 to 50 years. For application of multiplier, the High Court has also accepted the age group of the deceased between 40 and 50 years. In that view of the matter, there is no reason



for reducing the compensation by granting
future prospects at 15% only."

17. इस प्रकार एम.एच. उमा महेश्वरी (उपरोक्त) के मामले में पारित मतानुसार हम, वक्त घटना मृतक को 21 से 25 वर्ष के आयु वर्ग में मानते हुए सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य रिपोर्टेड इन (2009) 6 एस.सी.सी. 121 तथा प्रणय सेठी (उपरोक्त) के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 18 का गुणक लगाया जाना उचित समझते हैं। तदनुसार मृतक की निर्धारित आय 10,500/- रुपये के आधार पर अपीलार्थीगण को होने वाली आश्रित आय की कुल क्षति $10,500 \times 12 \times 18 = 22,68,000/-$ रुपये होती है, जो अपीलार्थीगण रामगोपाल बंजारा व अन्य प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

18. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को 88,000/- रुपये की राशि कंसोर्टियम की मद में दिलवाई गयी है, जो अधिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत प्रणय सेठी (उपरोक्त) व यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य रिपोर्टेड इन (2021) 11 एससीसी 780 व अन्य न्यायिक दृष्टांत मेगमा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहूरू राम व अन्य रिपोर्टेड इन (2018) 18 एससीसी 130 के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक आश्रित को 40,000/- रुपये कंसोर्टियम की मद में दिलवाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

19. हस्तगत मामले की घटना वर्ष 2016 की बताई गयी है। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत प्रणय सेठी (उपरोक्त), सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर (उपरोक्त) व नानू राम उर्फ चुहूरू राम (उपरोक्त) के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार घटना की तिथि को दृष्टिगत रखते हुए, मृतक के पिता व माता अपीलार्थी संख्या-1 व 2 प्रत्येक को "फिलियल कंसोर्टियम" की मद में 40,000/- रुपये (कुल 80,000/- रुपये) की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

20. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को अंतिम संस्कार की मद में 16,500/- रुपये तथा सम्पदा की हानि के मद में 16,500/- रुपये की राशि



दिलवाई गयी है, जो अधिक है। अतः प्रणय सेठी (उपरोक्त) के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार हम, उपरोक्त मदों में 15,000—15,000 /— रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

21. उक्तानुसार अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स रामगोपाल बंजारा व अन्य निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं :—

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रुपये में)
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	22,68,000 /—
2.	कंसोर्टियम के मद में	कुल 80,000 /—
3.	अंतिम संस्कार के मद में	15,000 /—
4.	सम्पदा की हानि के मद में	15,000 /—
इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई कुल क्षतिपूर्ति राशि		23,78,000 /—
विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि (—)		15,49,000 /—
बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर		8,29,000 /—

22. तदनुसार अपीलार्थीगण रामगोपाल बंजारा व अन्य की ओर से प्रस्तुत सिविल विविध अपील संख्या—943 / 2024 आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स को 15,49,000 /— रुपये दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर 23,78,000 /— रुपये का पंचाट पारित किया जाता है। अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

दीवानी विविध अपील संख्या—2533 / 2023 :-

23. मामले की घटना दिनांक 28.01.2016 की बताई गयी है तथा वक्त घटना मृतक देवेन्द्र को 22 वर्ष की आयु का बी—टेक इंजीनियरिंग का छात्र होना बताते हुए व द्यूशन पढ़ाकर 15,000 /— रुपये मासिक आय अर्जित करना अवश्य बताया गया है। मृतक की आय के संबंध में अपीलार्थीगण की ओर से कोई ठोस प्रमाण विद्वान अधिकरण के समक्ष पेश नहीं किया गया है, किन्तु मृतक की राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी द्वारा जारी बी.टेक. की अंकतालिकाएं प्रदर्श—22 लगायत प्रदर्श—26 पत्रावली पर पेश की गयी हैं।



उपरोक्त परिस्थितियों में विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक देवेन्द्र की काल्पनिक मासिक आय 10,000/— रुपये निर्धारित की गयी है।

24. इस संबंध में हमारा मानना यह है कि वक्त घटना मृतक देवेन्द्र बी.टेक. डिग्रीधारी छात्र होना बताया गया है तथा शैक्षणिक योग्यता के संबंध में मृतक की बी.टेक. की अंकतालिकाएं प्रदर्श-22 लगायत प्रदर्श-26 भी पत्रावली पर पेश की गयी है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में हम, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **Kandasami (supra)**, **S. Mohammed Hakkim (supra)** तथा **Nagappa (supra)** के मामले में पारित मत से सहमत होते हुए दीवानी विविध अपील संख्या-943/2024 में किये गये विवेचनानुसार वक्त घटना मृतक की मासिक आय 15,000/— रुपये निर्धारित किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

25. क्लेम याचिका में वक्त घटना मृतक को 22 वर्ष आयु का होना बताया गया है तथा विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की 10वीं कक्षा की अंकतालिका में अंकित जन्मतिथि 20.07.1993 के आधार पर मृतक की आयु 22 वर्ष 6 माह होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए वक्त घटना मृतक की आयु 20 से 25 वर्ष के मध्य निर्धारित की गयी है। चूंकि वक्त घटना मृतक 20 से 25 वर्ष मध्य आयु का स्वनियोजित व्यवसायी था। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य रिपोर्टेड इन (2017) 16 एस.सी.सी. 680** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए मृतक की निर्धारित मासिक आय 15,000/— रुपये पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में 40 प्रतिशत अर्थात् 6,000/— रुपये की बढ़ोतरी करते हुए मृतक की कुल मासिक आय 21,000/— रुपये निर्धारित की जाती है, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

26. वक्त घटना मृतक अविवाहित था। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/2 भाग की कटौती की गयी है जो सही है। तदनुसार 21,000/— रुपये का 1/2 भाग 10,500/— रुपये होता है, जिसे निर्धारित मासिक आय में से घटाने के उपरांत आश्रित आय की शेष राशि 10,500/— रुपये होती है। विद्वान वक्त घटना मृतक की आयु 20 से 25 वर्ष के मध्य निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य रिपोर्टेड इन (2009) 6 एस.**



सी.सी. 121 तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 18 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है। तदनुसार मृतक की निर्धारित आय 10,500/— रुपये के आधार पर अपीलार्थीगण को होने वाली आश्रित आय की **कुल क्षति $10,500 \times 12 \times 18 = 22,68,000$ /— रुपये** होती है, जो अपीलार्थीगण **जगदीश प्रसाद व अन्य** प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

27. विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक के पिता व माता अपीलार्थी संख्या—1 व 2 प्रत्येक को 44,000/— रुपये (कुल 88,000/— रुपये) की राशि कंसोर्टियम की मद में दिलवाई गयी है व मृतक के भाई अपीलार्थी संख्या—3 को कंसोर्टियम की मद में कोई राशि नहीं दिलवाई गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** व **यूनाईटेड इण्डिया इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य रिपोर्टेड इन (2021) 11 एससीसी 780** व अन्य न्यायिक दृष्टांत **मेगमा जनरल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहलू राम व अन्य रिपोर्टेड इन (2018) 18 एससीसी 130** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक आश्रित को 40,000/— रुपये कंसोर्टियम की मद में दिलवाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

28. हस्तगत मामले की घटना वर्ष 2016 की बताई गयी है। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त)**, **सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर (उपरोक्त)** व **नानू राम उर्फ चुहलू राम (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार घटना की तिथि को दृष्टिगत रखते हुए, मृतक के पिता व माता अपीलार्थी संख्या—1 व 2 तथा मृतक के भाई प्रोफोर्मा रेस्पोंडेंट संख्या—4 प्रत्येक को “फिलियल कंसोर्टियम” की मद में 40,000/— रुपये (कुल 1,20,000/— रुपये) की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

29. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को अंतिम संस्कार की मद में 16,500/— रुपये तथा सम्पदा की हानि के मद में 16,500/— रुपये की राशि दिलवाई गयी है, जो अधिक है। अतः **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार हम, उपरोक्त मदों में 15,000—15,000/— रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।



30. उक्तानुसार अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स **जगदीश प्रसाद व अन्य** निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं :-

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रूपये में)
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	22,68,000 / -
2.	कंसोर्टियम के मद में	कुल 1,20,000 / -
3.	अंतिम संस्कार के मद में	15,000 / -
4.	सम्पदा की हानि के मद में	15,000 / -
इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई कुल क्षतिपूर्ति राशि		24,18,000 / -
विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि (-)		16,33,000 / -
बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर		7,85,000 / -

31. तदनुसार अपीलार्थीगण **जगदीश प्रसाद व अन्य** की ओर से प्रस्तुत **सिविल विविध अपील संख्या-2533/2023** आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स को **16,33,000/- रूपये** दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर **24,18,000/- रूपये** का पंचाट पारित किया जाता है। अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

32. अपीलार्थीगण **रामगोपाल बंजारा व अन्य** तथा **जगदीश प्रसाद व अन्य** को देय निर्धारित राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जावेगी।

33. इस निर्णय द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थीगण **रामगोपाल बंजारा व अन्य** तथा **जगदीश प्रसाद व अन्य**, 08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

34. निर्णय की प्रति के साथ प्रकरण का अभिलेख संबंधित विद्वान अधिकरण को अविलम्ब लौटाया जावे।

35. तदनुसार उपरोक्त अपीलों को निस्तारित किया जाता है।

36. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J